न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

दिनांकः– 08.03.2022

प्रार्थना पत्र संख्या : 19/2022

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम जयप्रकाश आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बालरासर आथुणा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम बालरासर आथुणा तहसील चूरू के खसरा नम्बर 47, 593/354, 355/44, 41, 40 में से ख.नं. 35 की दक्षिणी सीमा के मध्य से ख.नं. 33 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है तथा सभी खातेदार सहमत हैं। अतः तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम बालरासर आथुणा के ख.नं. 47, 593/354, 355/44, 41, 40 में से ख.नं. 35 की दक्षिणी सीमा के मध्य से ख.नं. 33 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक मौके पर चालू रास्ते का संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में अंकन करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। रास्ते में जाने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:15 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
चूरू